उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या-48/2023/658/2393982/2023/12-5099/45/2023

लखनऊ::दिनांक 11 मई, 2023

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-46202/3/626-2386979/202350-12/99/45202/2, दिनांक 08 मई, 2023 के अध्याय-2 के प्रस्तर2-.1 की अंतिम पंक्ति में अंकित योजना वर्ष 2022-23 से 2027-28 के स्थान पर योजना वर्ष 2022-23 से 2026-27 एवं अध्याय-3 के प्रस्तर-3.1 में टंकित योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित लागत का विवरण की तालिका में क्र०सं०-2 (जल भराव क्षेत्रोपचार एवं कृषि वानिकी/वृक्षारोपण(मनरेगा)) के कालम-4 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत परियोजना अंश में 10.25 के स्थान पर 0.00 तथा योग-कार्यमद में 99.25 के स्थान पर 101.46 पढ़ा जाय।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-46202/3/626-2386979/202350-12/99/45202/2, दिनांक 08 मई, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अमर चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एंव ऊर्जा मंत्रालय(एम0एन0आर0ई), लोधी रोड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
12. अपर कृषि निदेशक(भूमि संरक्षण), कृषि निदेशालय, उ0प्र0।
13. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/जनपदीय उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।
14. सहायक निदेशक)समन्वय एवं कम्प्यूटर(, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
15. गार्ड फाइल।

अमर चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in